

खेतिहर मजदूरों की दीनावस्था के कारण :-

वर्षों से भारत में खेतिहर मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती है। ब्रिटिश शासनकाल में इनकी स्थिति को सुधारने के लिए प्रायः कोई भी प्रयत्न नहीं किया गया था। फलतः इनकी कठिनाइयाँ और भी बढ़ती गयीं। भारतीय खेतिहर मजदूरों की दीनावस्था के निम्नांकित प्रधान कारण हैं -

1. जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि के परिणामस्वरूप कृषि-भूमि का निरंतर उपविभाजन (Sub-division of land due to excessive growth of population) - भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है जिसके फलस्वरूप किसानों की भू-सम्पत्ति का उपविभाजन बढ़ते ही जा रहा है आ तथा जोते छोटी होती जा रही हैं। खेतों का आकार छोटा होने के कारण कृषि-कार्य अलाभकर हो जाता है। फलस्वरूप किसानों की भू-सम्पत्ति का उपविभाजन बढ़ते ही जा रहा है तथा जोते छोटी होती जा रही हैं। खेतों का आकार छोटा होने के कारण कृषि-कार्य अलाभकर हो जाता है। फलस्वरूप किसानों का निर्वह केवल अपनी भूमि से ही नहीं हो पाता और वे कम ही मजदूरी पर कार्य करने के लिए विवश होते हैं। इस प्रकार देश की बढ़ती हुई जनसंख्या तथा इसके फलस्वरूप भू-संपत्ति के निरंतर उपविभाजन के कारण खेतिहर मजदूरों को निधनता तथा विवशता बढ़ती ही जा रही है।

2. कुटीर उद्योग - धन्धों का ह्रास (Decline of the cottage Industries) - भारत में ब्रिटिश शासनकाल के प्रारंभ से ही अनेक कारणों से कुटीर उद्योगों का विनाश होने लगा जिससे देश में सहायक उद्योग-धन्धों का क्षय अभाव हो गया। कुटीर उद्योगों के विनाश से बहुत-से कारीगर बेकार हो गए तथा उन्हें बाह्य होकर कृषि का कार्य करना पड़ा। इससे खेतिहर मजदूरों की संख्या में वृद्धि हो गया और उन्हें कम मजदूरी पर ही कार्य करने के लिए विवश होना पड़ा।

3. कर्ज का अतिशय बोझ (Burden of indebtedness) - हमारे देश के खेतिहर मजदूरों की आय इतनी कम है कि उन्हें अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर्ज लेना पड़ता है। इसके अतिरिक्त विवाह एवं श्राद्ध आदि विशेष अवसरों पर भी कर्ज लेते हैं। मजदूरी कम होने के कारण ये कर्ज चुकाने का बहुरा अस्मर्थ रहते हैं तथा लाचार होकर उन्हें अपनी संपत्ति बेचनी पड़ती है। कभी-कभी तो कर्ज के लिए उन्हें अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तक को भी गिरवी रखनी पड़ती है जिससे ये महाजन के दास की तरह हो जाते हैं। इस प्रकार कर्ज के बोझ से खेतिहर मजदूरों की आर्थिक विषमता बढ़ती जा रही है।

4. निरंतर कार्य का नहीं मिलना (Seasonal character of employment) - भारत में खेतिहर मजदूरों को कम मजदूरी पर भी निरंतर कार्य नहीं मिलता। ये वर्ष के अधिकतर भाग में बहुरा बेकार ही रहते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये वर्ष में 4-5 महीने तक बेकार ही रह जाते हैं। किसी-किसी भाग में तो ये 6 महीने तक बेकार रह जाते हैं। द्वितीय कृषि श्रम आँच समिति के अनुसार 1956-57 ई. में खेतिहर मजदूरों को वर्ष में औसत 194 दिनों तक कार्य मिलता था तथा 40 दिनों तक ये अपना कार्य करते थे। इस प्रकार समिति के अनुसार 1956-57 में ये 168 दिन तक बेकार थे। आसंजित मजदूरों को भी वर्ष में औसत 326 दिन ही काम मिलता है। इनके लिए बेकारी का समय बड़ा ही दुःख हो जाता है और फलस्वरूप शौजन - वस्त्र आदि के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। अतः निरंतर काम न मिलने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति खराब होती जाती है जा रही है।

5. मजदूरी चुकाने की दोषपूर्ण प्रणाली (Defective system of wage payments) - हमारे देश में खेतिहर मजदूरों को मजदूरी चुकाने की प्रणाली भी दोषपूर्ण है। कहीं तो मजदूरी नकद रूप में चुकायी

जाती है, कहीं अन्न के रूप में और कहीं बीनों के रूप में। परंतु आजकल मजदूरी प्रायः द्रव्य के रूप में ही दी जाती है। इससे मजदूरों की वास्तव में क्षति होती है, क्योंकि वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप मजदूरी में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। अतः इन्हें कम वास्तविक मजदूरी ही मिलती है। इस प्रकार मजदूरी चुकाने की विभिन्नता पूर्ण रूप से दोषमुक्त पद्धति के कारण भी मजदूरों की स्थिति दयनीय होती जा रही है।

6. दोषपूर्ण श्रम कानून तथा अनुपस्थित जमींदारी व्यवस्था (Defective tenancy legislation and absentee landlordism) - हमारे देश में वर्तमान श्रम कानून भी खेतिहर मजदूरों की संख्या में वृद्धि के लिए बहुत हद तक उत्तरदायी है। ये मजदूर दूसरों की भूमि पर कार्य करते और केवल अपनी मजदूरी को लभगी होते हैं। जमीन का मालिक बहुधा खेती से बहुत दूर रहता है, फिर भी वह संपूर्ण उपज का हक्कार होता है। अनुपस्थित जमींदारी व्यवस्था के कारण भी इनकी आर्थिक विषमता में वृद्धि हुई है। बड़े-बड़े जमींदार गांवों में न रहकर नगरों में रहना अधिक पसंद करते हैं। इनकी अनुपस्थिति में जमींदारी की व्यवस्था इनके कर्मचारियों द्वारा ही की जाती है जो किसानों पर तरह-तरह के अत्याचार करते हैं। बहुत से किसान इस प्रकार भूमि से बेदखल कर दिये जाते हैं और इन्हें बाह्य होकर खेतिहर मजदूरों की श्रेणी में आना पड़ता है।

7. खेतिहर मजदूरों में संगठन का अभाव (Lack of organisation among the agricultural labourers) - हमारे देश में खेतिहर मजदूरों के बीच अभी संगठन का पूर्णतया अभाव पाया जाता है। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रयास के फलस्वरूप देश के औद्योगिक मजदूर दिन-प्रतिदिन संगठित होते जा रहे हैं जिससे उनकी स्थिति में सुधार होते जा रहा है।

किंतु खेतिहर मजदूरों में अभी संगठन का अभाव है। अतः उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए उनके द्वारा संगठित प्रयत्न नहीं किया जाता। वास्तव में दूर-दूर तक बिखरे गाँवों की बिखरी वस्तियों में निर्धन जीवन व्यतीत करनेवाले खेतिहर मजदूरों के बीच संगठन की प्रवृत्ति का अभाव अति स्वाभाविक है। इस प्रकार न उचित संगठन के अभाव के कारण भी उनकी आर्थिक विवशता अधिक हो गयी है।

8. खेतिहर मजदूरों के प्रति सरकार और समाज की उदासीनता (Indifferent attitude of the govt. and the society towards Agricultural labourers) - हमारे देश में खेतिहर मजदूरों के प्रति सरकार एवं समाज प्रारंभ से ही उदासीन रहे हैं। ब्रिटिश शासनकाल में तो उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए कौड़ी भी प्रयास नहीं किया गया जिससे उनकी आर्थिक विवशता बहुत बढ़ गई। इसमें कौड़ी संदेह नहीं कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद इस और सरकार का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट हुआ, फिर भी इस दिशा में अभी कौड़ी महत्त्वपूर्ण सुधार नहीं हो पाया है।